


## सूचना

राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन (सम्पदा) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(26) सा.प्र./स./05 जयपुर दिनांक 24.5.2005 के निर्देशानुसार अजमेर शहर व किशनगढ़ शहर के नजूल सम्पत्ति धारक जो नजूल सम्पत्ति को विभागीय नीति के अनुसार क्रय करना चाहते हैं। वे निर्धारित आवेदन प्रपत्र कार्यालय तहसील, अजमेर से प्राप्त कर आवेदन प्रपत्र तहसीलदार, अजमेर को भरकर जमा करावें।

अधिक जानकारी हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. नगर खण्ड, अजमेर/जिला खण्ड अजमेर अथवा कार्यालय तहसीलदार अजमेर/किशनगढ़ से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



सदस्य सचिव एवं  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. नगर खण्ड, अजमेर